4/2/2021	वकील फरीकेन उपस्थित / पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया / पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल रहे

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.03 12:31:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीनः— अधिकारी देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0	आर.सी.एम.एस	तारीख रजू
14 / 2015	2015 / 00093	12.05.2015

1. किस्तूरी वेवा पत्नि पंचमसिंह आयु 69 साल
2. कप्तान सिंह पुत्र पंचम सिंह आयु 48 साल
3. प्रकाश सिंह पंचम सिंह आयु 42 साल — पुत्रान पंचमसिंह
4. कृपाल सिंह पुत्र पंचम सिंह आयु 35 साल
5. वलवीर सिंह पुत्र पंचम सिंह आयु 26 साल
6. गीता वाई पुत्री पंचम सिंह आयु 46 साल
7. जलदेवी पुत्री पंचम सिंह आयु 37 साल
8. सीतावाई पुत्री पंचम सिंह आयु 30 साल — पुत्रीयान पंचमसिंह
9. मानती पुत्री पंचम सिंह आयु 28 साल

सभी जातियान राजपूत निवासी वल्लापुरा खूडा तहसील मासलपुर जिला करौली राज0

सायलान

बनाम

1. प्रेमबाई वेवा पत्नि केशरीसिंह
2. भंमर सिंह पुत्र केशरीसिंह
3. संजयसिंह पुत्र अनार सिंह
4. मीरावाई
5. सुनती — पुत्री केशरीसिंह
6. कृष्णा
7. मुकेश पुत्र छतरसिंह
8. मिथलेश पुत्री छतरसिंह
9. माया देवी वेवा पत्नि गोपाल सिंह
10. महावीरसिंह
11. भूरीसिंह
12. रधुवीर सिंह
13. सुन्दर सिंह — पुत्रयान गोपाल सिंह
14. रामलखन
15. दिनेश
16. सत्यवीर
17. शारदा वाई — पुत्री गोपाल सिंह
18. उष्मा
19. रामरती वेवा पत्नि अन्तर सिंह (हजफ)
20. जयवीर सिंह पुत्र अमर सिंह (हजफ)
21. कमर सिंह
22. राजेन्द्र सिंह — पुत्रयान अन्तर
23. मदन सिंह
24. रायसिंह पुत्र अन्तर
25. रेवती पुत्री अन्तर सिंह गुड्डी वाई पुत्री अन्तर
26. गुड्डी वाई पुत्री अन्तर सिंह
27. लोहरी वाई पुत्री नानगा

सभी जातियान राजपूत निवासी वल्लापुरा खूडा तहसील मासलपुर जिला करौली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.03 12:31:51 IST
Reason: SelfAttested

28. दिनेश सिंह

Scanned with CamScanner

29. रामपाल गुर्जर पुत्रयान रामसिंह
30. जनक सिंह गुर्जर
सभी जातियान गुर्जर निवासी नवलसिंह का पुरा खूडा तहसील मासलपुर जिला करौली राज0।
31. लाखन सिंह पुत्र वुदाराज
32. लैण्ड होल्कर तहसीलदार मासलपुर जिला करौली।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र धारा 212 .आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 4.02.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सायलान के पति पिता पंचम सिंह के 06 भाई 02 वहिन है मूलसिंह ,अन्तरसिंह,पंचमसिंह केशरीसिंह ,छतरसिंह,गोपालसिंह,छत्तो वाई जो फौत हो गई लोहरी वाई पुत्रान पुत्रीयान नानगासिंह है जिसका सजरा मद न0 02 में दर्ज है। सायलान व गैर सायलान के पिता/पति की पैतृक संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 600,601,602,603,605,629,630,631,836,837,839,840,841 कुल किता 13 कुल रकवा 25 वीघा 6 विस्वा ग्राम खूडा तहसील मासलपुर में स्थित जिसे योम खातेदारी से ही हम, सायलान काश्त करते चले आ रहे है और आज भी बिना रोकटोक के काबिज काश्त है। सम्वत् 2028 से 2031 तक में सायलान के पिता/पति का नाम अंकित है सायलान व गैर सायलान के पिता/पति पत्नि की मृत्यु हो जाने के वाद उनके वारिसान को सायलान व गैर सायलान वताया गया गया है सायलान के पिता/पति का देहान्त हो जाने के कारण सायलान उक्त आराजी की इन्द्राज दुरस्ती कराने बेचान विलेख दिनांक 20.09.2013 नामान्तकरण संख्या 858 दिनांक 20.10.2013 को सायलान के विरूद्व शून्य प्रभावी कराने एवं वटवारा व अस्थाई निषेधाज्ञा से गैर सायलान को पाबन्द कराने के अधिकारी है। अन्त में प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैर सायलान न0 28 ता 31 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत का कथन किया है कि नानगा सिह का विवादित आराजीयान से कोई सम्बन्ध खातेदार/काश्तकारी नही है आराजीयान में छतरसिंह का 1/5 हिस्सा खातेदारी अधिकार रहा है क्यो कि मूलसिंह लाऔलाद फौत होना सायलान ने सजरा में दर्ज किया है छतरसिंह का 1/5 हिस्सा खातेदारी अधिकारी वर्तमान जमावन्दी में दर्ज हो रहा है व सही है इन आराजीयान से लोहरी वाई गैरसायलान प्रतिवादियान का कोई खातेदारी काश्तकारी सम्बन्ध नही है कोई जमावन्दी सायलान ने नानगासिंह के खातेदारी की प्रस्तुत नही की है जवाब दौरान ने छतरसिंह के वारिसान गैर सायलान न0 07 व 08 से उनके हक हिस्से खातेदारी की समस्त भूमि कय की है। जो रजिस्ट्रर्ड विक्रयपत्र से खरीद की गयी है और कब्जा प्राप्त गैर सायलान न028 ता 31 ने गैर सायलान न0 07 व 08 विकेताजन से प्राप्त किया है गैर सायल न0 28 ता 31 छतर सिंह के हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है आर[illegible] पैतृक सम्पति नही है पैतृत संयुक्त खातेदारी की नही है पैतृत होने का कोई रिकार्ड राईप्स जम[illegible]नानगासिंह एवं उसके पिता की होने का सायलान ने वादपत्र को प्र[illegible] दर्ज किया है पूर्वज के खातेदारी की भूमि रही है वाद पत्र[illegible] सायलान ने आज हक हिस्सा तक भी दर्ज नही किया है मूलसिंह लाऔलाद स्वर्ग[illegible] सायलान की घोषणा खातेदारी अधिकार का दावा नही किया है इन्द्राज दुरस्ती वाद है सायलान का नाम वर्तमान जमावन्दी में खातेदारी में दर्ज नही रहा है। विक्रय विलेख दिनांक 20.09.2013 व हक गैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.03 12:31:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सायलान सही व विधिवत है। प्रभावशील है वयनामा का न्यायालय हाजा से सायलान शून्य प्रभावी करार करने के अधिकारी नही है दीवानी न्यायालय को ही रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के पीडित पक्षकार द्वारा ही निरस्त कराया जा सकता है न्यायालय हाजा के वयनामा निरस्त करार देने का क्षत्रेधिकार नही है। सायलान न्यायालय हाजा से अस्थाई निषेधाज्ञा गैर सायलान के विक्रय प्राप्त करने के अधिकारी नही है। बजारा मौके पर हो रहा है। अन्त में प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अन्य गैर सायलान के विक्रय एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है।

वहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का विवेचन किया गया। जिससे वादग्रस्त आराजी सम्बत 2028 से 2031 में मूल सिंह, अन्तर सिंह,केशरीसिंह ,पंचमसिंह,छतर सिंह,नानगासिंह जातियान राजपूत निवासीयान खूडा के खातेदारी में दर्ज रही है। मूलसिंह सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्ज सजरा से लाऔलाद स्वर्गवासी हो जाना उभयपक्ष का स्वीकृत तथ्य है। वादगस्त आराजी के पुश्तैनी होने का यानि नानगा सिंह के खातेदारी की होने का कोई

राजस्व रिकार्ड सायलान द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत्2028 से 2031 तक से भूमि में सायलान के पिता व पति पंचम सिंह का मूलसिंह के लाऔलाद फौत हो जाने से 1/5 हिस्सा होना प्रकट होता है गैरसायलान न0 28 ता 31 के हक में वयनामा छतर सिंह के पुत्र व पुत्री वारिसान गैर सायल न0 07 व 08 द्वारा अपने हिस्से भी भूमि का दिनांक 20.09.2013 को पंजीयन कराया गया है। जिससे सायलान के हक हकूको पर कोई विपरित प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है। सायलान अपने 1/5 हिस्सा की हद तक गैर सायलान के विक्रय अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने को हकदार है। प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतःप्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाता है गैरसायलान को ताफैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वह आराजीयान खसरा नम्बर 600,601,602,603,605,629,630,631,836,837,839,840,841, कुल किता 13 कुज रकवा 25 वीघा 6 विस्वा ग्राम खूडा तहसील मासलपुर जिला करौली को सायलान के 1/5 हिस्सा तक रहन वय नही करे एवं मदाखलत मजाहमत न करें

निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.03 12:31:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner